

भारतीय कृषि में महिलाओं की अदृश्यता: उत्तर प्रदेश का एक मामला (नगर)



वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

भारतीय कृषि में महिलाओं की अदृश्यता: उत्तर प्रदेश का एक मामला (नगर)

डॉ. शशि बाला



वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
सैक्टर - 24, नौएडा
ईमेल आईडी:-balashashi.vvgnli@gov.in



© वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

प्रतियों की संख्या: 150

प्रकाशन वर्ष: 2022

यह प्रकाशन संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.org
से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखक के अपने व्यक्तिगत विचार हैं।
उनसे वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

प्रकाशक: वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर-24, नौएडा-201301, उत्तर प्रदेश

मुद्रण स्थान: चंदू प्रेस, डी-97, शकरपुर, दिल्ली-110092



विषय-सूची

विवरण	पृष्ठ सं
प्रस्तावना	
आभार	
कार्यकारी सारांश	
अध्याय 1- परिचय	
अध्याय 2- महिलाएं और संपत्ति के अधिकार	
अध्याय 3- महिलाएं और रोजगार	
अध्याय 4- लैंगिक भेदभाव के मूल कारण	
अध्याय 5- लिंग: मामला अध्ययन	
अध्याय 6- निष्कर्ष और सिफारिशें	
संदर्भ	
अनुलग्नक	
अनुलग्नक 1- अध्ययन की झलकियां	
अनुलग्नक 2- शहरी प्रश्नावली	



तालिका संख्या	विवरण	पृष्ठ सं.
	तालिकाओं की सूची	
1.1	नमूने का चयन	
2.1	दस्तावेजों का स्वामित्व	
2.2	संचार और बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता	
2.3	क्रेडिट (ऋण) सुविधाओं की उपलब्धता	
2.4	सरकार नीतियां, जिनका उत्तरदाताओं ने लाभ उठाया	
2.5	लोक अदालत, तहसील संभागों तक पहुंच और लाभ	
3.1	महिलाओं की रोजगार की स्थिति	
3.2	अवधि और प्राप्त मजदूरी	
3.3	प्रशिक्षण और रोजगार के स्रोत	
3.4	महिला नेतृत्व और उनकी भूमिकाएँ	
4.1	लिंग और जिलेवार वितरण	
4.2	उत्तरदाताओं की शैक्षिक योग्यता	
4.3	परिवार के मुखिया	

चित्र संख्या	विवरण	पृष्ठ सं.
	चित्रों की सूची	
1.1	नमूने का आकार	
1.2	उत्तरदाताओं के विवरण	



प्रस्तावना

कृषि उत्पादन के वांछनीय स्तर के रखरखाव के लिए उत्पादक सामग्री (इनपुट) के कुशल और समय पर उपयोग, कृषि श्रमिकों की सुरक्षा और आराम, उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि और मूल्यवर्धन में वृद्धि की आवश्यकता होती है। 349 मिलियन हेक्टेयर के पूरे भौगोलिक क्षेत्र में से 156 मिलियन हेक्टेयर में खेती की जा रही है, जो एक अरब से अधिक लोगों को भोजन, फाइबर, चारा और ईंधन प्रदान करता है। लगभग 65% लोगों की आय का प्राथमिक स्रोत कृषि है। खंडित भूमि जोत, मानसून पर अत्यधिक निर्भरता और उन्नत इनपुट और कृषि पद्धतियों की कमी भारतीय कृषि की विशेषताएँ हैं।

कृषि विकास परियोजनाएँ निरंतर चली आ रही लैंगिक असमानताओं को संबोधित नहीं करती हैं और एक बड़ा बदलाव लाने की संभावनाओं से चूक जाती हैं। अधिकांश देशों में कृषि उत्पादकता और विकास में मौजूद महत्वपूर्ण 'लैंगिक अंतर' को नजरअंदाज करने की कीमत तेजी से स्पष्ट होती जा रही है। यह कीमत न केवल पुरानी असमानता के रूप में बल्कि विकास के परिणामों में सुधार के अवसरों को गंवाने के रूप में भी वहन की जाती है। भूमि, श्रम, ज्ञान, उर्वरक, और उन्नत बीज और पौध जैसे आवश्यक कृषि उत्पादक सामग्री तक महिलाओं की असमान पहुंच के कारण यह असमानता जारी है।

रिपोर्ट का उद्देश्य कृषि में महिलाओं की आधारभूत स्थिति को उजागर करना है। इस अध्ययन का लक्ष्य लैंगिक मुद्दों पर निष्पक्ष एवं समान दृष्टिकोण विकसित करना और उसे क्रियान्वित करना है। हम आशान्वित हैं कि इस अध्ययन के निष्कर्ष कृषि क्षेत्र में मौजूदा लैंगिक असमानताओं को कम करने के उनके प्रयासों में सभी हितधारकों की सहायता करेंगे।

मैं डॉ. शशि बाला, फेलो और उनकी टीम को इस दिशा में उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूँ।

श्री अमित निर्मल

महानिदेशक

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा



आभार

हम डॉ. एच. श्रीनिवास, भूतपूर्व महानिदेशक एवं श्री अमित निर्मल, महानिदेशक वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं जिनके द्वारा हमें यह अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया गया। साथ ही, यह अध्ययन पूरा करने में समर्थन देने के लिए मैं वीवीजीएनएलआई टीम का भी आभार व्यक्त करती हूँ।

मैं पूरी परियोजना टीम: सुश्री निमरा खान, डॉ. भूमिका बत्रा (रिसर्च एसोसिएट), सुश्री मंजू सिंह (कंप्यूटर ऑपरेटर) और डॉ. एम. एम. रहमान एवं श्री बी. एस. रावत (वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी) भी इस रिपोर्ट को मूर्तरूप देने में उनके निरंतर और अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद देती हूँ।

मैं अपने परिवार के लिए एक विशेष धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इस अध्ययन को पूरा करने में मेरे परिवार के सदस्यों का बहुत बड़ा समर्थन रहा है क्योंकि उन्होंने इस दिलचस्प अध्ययन के साथ मेरी व्यस्तता को सहन किया है।

डॉ. शशि बाला
फेलो



कार्यकारी सारांश

कृषि विकास और संबंधित उद्योगों में महिलाएं बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कृषि में महिलाओं की भागीदारी की प्रकृति और दायरा स्थान के अनुसार काफी भिन्न होता है। इन भिन्नताओं के बावजूद, महिलाएं विभिन्न कृषि कार्यों में सक्रिय भागीदार हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, सभी महिला श्रमिकों में से 55% खेतिहर मजदूर थीं जबकि खेती करने वाली महिलाओं की संख्या 24% थी। दूसरी ओर, महिलाओं के पास केवल 12.8% परिचालन जोतों का नियंत्रण था जो कृषि भूमि के स्वामित्व में लांगिक अंतर को दर्शाता है। इसके अलावा, महिलाओं का परिचालन स्वामित्व (25.7%) सीमांत और छोटी जोत श्रेणियों में संकेंद्रित है।


कृषि में लैंगिक असमानता इस विचार से शुरू होती है कि महिला अपनी आजीविका की प्रभारी नहीं हो सकती है, इसलिए वह भूमि अधिकार नहीं रख सकती है। महिलाओं को सीधे उनके नाम पर संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार नहीं मिलता है, यदि मिलता भी हो तो उनके पास फसल के पैटर्न, बिक्री, ऋण और खरीद के मामले में भूमि के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति नगण्य होती है। चूंकि महिलाओं के लिए ऋण और पूंजी तक पहुंच बनाना कठिन है, इसलिए उनके पास उन संसाधनों की कमी है जो रोजगार और घरेलू स्थिरता के लिए आवश्यक हैं। महिला मजदूरों का काम कम कुशल नौकरियों तक सीमित है जो घरेलू काम और बच्चों के पालन-पोषण के लिए फिट बैठता है। महिला मजदूर अक्सर अवैतनिक श्रम के रूप में काम करती हैं और उनमें से केवल कुछ ही औपचारिक मजदूर के रूप में काम करती हैं।

महिलाओं के सावधानीपूर्वक कृषि कार्य, जो खेतों में पुरुषों के बराबर या उससे अधिक है, महिलाओं के पास घर, बच्चों, पशुओं और अन्य सभी कामों की देखभाल करने की भी जिम्मेदारियां हैं। एक परिवार में जब एक माँ खेतों में काम कर रही होती है, तो बेटियों को घर के काम की कमान संभालनी पड़ती है जिससे उनकी स्कूली शिक्षा बाधित होती है। शिक्षा भी उन बाधाओं में से एक है जो महिला खेतिहर मजदूरों को कौशल हासिल करने और बेहतर एवं अधिक कुशल रोजगार क्षेत्र में स्थानांतरित करने से रोकती है। चूंकि कृषि क्षेत्र में विकास बैंकों, सहकारी समितियों और वित्तीय संस्थानों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, इसलिए उनके पास अधिक बाजार प्रतिस्पर्धी उत्पादन के लिए आवश्यक जानकारी का अभाव है।

पारंपरिक कृषि प्रणाली ने महिलाओं की भूमिका को मौलिक उत्पादकों के रूप में मान्यता नहीं दी है। इससे इस मुद्दे पर शोध और अध्ययन कम हुआ है जिसके परिणामस्वरूप उनका बहिष्करण के हुआ है। लैंगिक असमानता से निपटने के लिए संबंधित हितधारकों द्वारा एक दीर्घकालिक कार्यनीतिक योजना विकसित की जानी चाहिए।

चूंकि भूमि कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए भूमि का स्वामित्व और उसके अधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यह देखा गया है कि किसी महिला के पास भूमि अधिकार होना बहुत दुर्लभ है। पुरुषों के समान पद पर न होने पर ही महिलाओं को ऐसे अधिकार प्राप्त होते हैं।

इस अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं: विभिन्न आयामों से कृषि में महिलाओं की भूमिका की जांच करना; भेदभाव और लैंगिक असमानता के मूल कारणों का पता लगाना; महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को कम करना और कृषि में समान अधिकार, भूमिका, रोजगार और वेतन प्राप्त करना।



क. अध्ययन का क्षेत्र

यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के दो जिलों, बरेली और वाराणसी में किया गया। इसके अलावा, एक गहन विश्लेषण के लिए दोनों क्षेत्रों में दो उप-जिलों, अर्थात् बरेली, फरीदपुर, पिंडरा और वाराणसी को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, इनमें प्रत्येक क्षेत्र में एक नगर भी था। शहर के परिप्रेक्ष्य को जानने के लिए प्रश्नावली का उपयोग किया गया था। डेटा का नमूना मल्टी-स्टेज सैंपलिंग का उपयोग करके लिया गया।

ख. उत्तरदाता

चयनित जिलों से खेतिहर मजदूरों, किसानों और विस्तार कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों से प्रतिक्रियाएँ प्राप्त की गईं।

ग. प्रमुख निष्कर्ष

1. 25-26% महिलाएं प्राथमिक स्तर से स्नातक स्तर तक शिक्षित हैं।
2. 32-35% महिलाएं बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाती हैं।
3. 4-5% महिलाएं क्रेडिट सुविधाओं का उपयोग करती हैं।
4. केवल 2-3% उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके घर की मुखिया एक महिला है।

घ. सुझाव

1. महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और संसाधनों तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए भूमि अधिकारों को महिलाओं के पक्ष में मजबूत किया जाना चाहिए।
2. महिलाओं की ऋण और कृषि सेवाओं तक पहुंच में सुधार किया जाना चाहिए।
3. कृषि में महिला सशक्तिकरण का समर्थन किया जाना चाहिए।
4. महिलाओं में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
5. बैंकिंग, ऋण, शिक्षा, संचार, बाजार आदि जैसे संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच अभी भी प्रतिबंधित है। इसलिए इस दिशा में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ कार्रवाई समय की जरूरत है।

ङ. नीतिगत सिफारिशें

1. विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में महिलाओं के अनुकूल प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
2. बड़े पैमाने पर महिलाओं को रोजगार देने के लिए छोटे शहरों में गैर-कृषिगत रोजगार का विस्तार किया जाना चाहिए।



अध्याय 1

परिचय

1.1 अवलोकन

कृषि श्रम में लिंग विभाजन असंतुलित है, जिसमें महिलाएं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और इस क्षेत्र में पुरुषों की संख्या से अधिक हैं। कृषि के क्षेत्र में ज्ञान के प्रभारी पुरुष हैं। पुरुषों को पूंजीगत कर्तव्य सौंपे जाते हैं जबकि महिलाओं को श्रम-गहन कार्य सौंपे जाते हैं। पुरुषों को मशीन से संबंधित गतिविधियां भी दी जाती हैं, जिसका असर महिला मजदूरों की मांग पर पड़ता है। खेतों में कई महिलाएं माध्यमिक कार्य करती हैं। धनी घरों की महिलाएं खेत में तब ही काम करती हैं जब उनके खेत में महिला मजदूरों की कमी होती है, लेकिन छोटे और मध्यम आकार के घरों की महिलाएं हर दिन सुबह से शाम तक काम करती हैं। वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे छोटे घरों की महिलाएं अपने खेतों में काम पूरा करने के बाद दूसरे लोगों के खेतों में काम करती हैं।

जब एक छोटा घर उपज पैदा करने में असमर्थ होता है तो घर चलाने का पूरा भार महिलाओं के कंधों पर आ जाता है, जो अपनी आय की पूर्ति के लिए दूसरे लोगों के खेतों में काम करती हैं। एक महिला खेतों में मदद करती है और घर एवं उसकी भलाई के लिए लगातार जिम्मेदार होती है। कुछ महिलाएं, यदि वे अपने घर और खेत के कार्यों का प्रबंधन करने में असमर्थ होती हैं या बीमार होती हैं, शिकायत करने से इसलिए डरती हैं क्योंकि उन्हें अपमानित होने, मारपीट करने या यौन उत्पीड़न का डर होता है। वे शोषित महसूस कर सकती हैं, लेकिन उनके पास बहुत कम सहारा है। कार्यस्थल में लैंगिक भेदभाव बढ़ रहा है जो महिलाओं के प्रति समाज के रवैये को प्रदर्शित करता है।

1.2 साहित्य की समीक्षा

कृषि में महिलाओं की भूमिका दीर्घकालिक आधार पर भूख और गरीबी से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका है। महिलाओं के मौलिक अधिकार, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, शारीरिक अखंडता के अधिकार से लेकर शादी करने और बच्चे पैदा करने की स्वतंत्रता तक भिन्न हैं। महिलाओं की पढ़ना और लिखना सीखने की क्षमता; जमीन का मालिकाना; पानी, मशीनरी, या जानवरों तक पहुंच; और बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की क्षमता; ये सभी उनकी और उनके परिवार की देखभाल करने की उनकी क्षमता में भूमिका निभा सकते हैं। अगर महिलाएं निर्णय ले सकें और खुद को संगठित कर सकें तो पूरे समुदाय को फायदा होगा।

ब्रिक्स में ग्रामीण आबादी का लगभग आधा हिस्सा होने के बावजूद महिलाओं को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को सीमित करती हैं, उन्हें आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त करने से रोकती हैं।

महिलाएं गैर-उत्पादक गतिविधियों जैसे घर के कामों और अन्य कृषि गतिविधियों में काफी अधिक शामिल होती हैं, जो उन्हें उनके श्रम की भरपाई नहीं करती हैं। आमतौर पर, पुरुष गैर-कृषिगत या खेती के व्यवसायों के माध्यम से पैसा कमाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि महिलाएं बच्चों को पैदा करने एवं पालने, जानवरों की देखभाल करने और घरेलू कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। यदि पुरुष बेहतर भविष्य की संभावनाओं के लिए पलायन करते हैं, तो काम का बोझ महिलाओं पर ही पड़ता है। जबकि महिलाएं बच्चों को पालने और पालने, जानवरों की देखभाल करने और घरेलू कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। यदि पुरुष बेहतर करियर की संभावनाओं के लिए पलायन करते हैं, तो काम का बोझ महिलाओं पर पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप वह खेत और घर पर काम करने के लिए बाध्य होती है। ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने से न केवल संसाधनों तक उनकी पहुंच में सुधार होता है बल्कि उनके निर्णय लेने के अधिकार में भी सुधार होता है।



यह प्रस्ताव किया जाता है कि निर्णय लेने वाले प्राधिकरण, परियोजनाओं और कार्यक्रमों में पुरुष और महिला किसानों की पूरक जिम्मेदारियों को पूरा करने, भूधारण सुरक्षा, और कृषि में महिलाओं की भूमिका में सुधार के लिए विस्तार सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन प्रदान किया जाए (जोशी, ए., और कलौनी डी. 2018)। सामाजिक नवाचार, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं की अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए एक संभावित तरीका हो सकता है। प्राकृतिक आपदाएं, समुद्र का बढ़ता स्तर, अनियमित मौसम, और अन्य कारक विकासशील देशों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और वंचित महिलाओं, जो बहुत गरीबी में रहते हैं और अपने अस्तित्व के लिए कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर काफी निर्भर हैं, को असमान रूप से प्रभावित करते हैं (क्रूज पी. एवं अन्य, 2016)।

1.3 अनुसंधान के उद्देश्य

1. नगर के विशेष संदर्भ में कृषि में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को समझना।
2. कृषि क्षेत्र में भेदभाव और लैंगिक असमानता के अंतर्निहित कारणों का पता लगाना।
3. कृषि में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना और महिलाओं के लिए समान अधिकार, भूमिका, रोजगार और पारिश्रमिक प्राप्त करना।

1.4 क्रियाविधि

पहले चरण में उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर एक विशिष्ट क्षेत्र का चयन करना शामिल है। इस अध्ययन के लिए पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को चुना गया क्योंकि इन क्षेत्रों में कृषि के विकास के साथ-साथ गैर-कृषिगत रोजगार भी बहुत अधिक देखा गया है। निम्नलिखित जिलों का चयन किया गया:

1. पश्चिमी उत्तर प्रदेश-बरेली (संकेतकों में सबसे कम)
2. पूर्वी उत्तर प्रदेश-वाराणसी (संकेतकों में उच्चतम)

बरेली मंडल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में एक प्रशासनिक और भौगोलिक इकाई है। बरेली को एक बहुत ही उपयोगी क्षेत्र (तराई) माना जाता है जो गन्ना, चावल, मसूर की दाल और गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अध्ययन के तत्वों, जैसे कि साक्षरता दर, मुख्य श्रमिकों की प्रतिशतता, बिजली और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, संपत्ति रखने वाले परिवार के संदर्भ में बरेली डिवीजन में बहुत कम आंकड़े थे। वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अध्ययन के तत्वों, जैसे साक्षरता दर, मुख्य श्रमिकों की प्रतिशतता, बिजली की उपलब्धता, और संपत्ति रखने वाले परिवार के संदर्भ में वाराणसी जिले के बहुत उच्च परिणाम थे। प्रत्येक उप-जिले से चुना गया एक अध्ययन क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में संकेतकों के बीच मजबूत विकास को दर्शाता है, जबकि दूसरा क्षेत्र संकेतकों के बीच कम विकास का प्रतिनिधित्व करता है। इस विस्तृत पद्धति का पालन करते हुए प्रत्येक उप-जिला गहन क्षेत्र अनुसंधान के लिए एक शहर का चयन करता है (प्रतिनिधि नमूनों के लिए उच्चतम जनसंख्या के आधार पर)।

1.5 नमूने का आकार


2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित नगरों के नमूने का चयन किया गया है (तालिका 1.1 देखें) बरेली क्षेत्र से बरेली वार्ड 46 और फरीदपुर वार्ड 8 को चुना गया है, जबकि वाराणसी क्षेत्र से बारागांव और वाराणसी वार्ड 25 का चयन किया गया है।

तालिका: 1.1 नमूने का चयन

	उप जिला	जनसंख्या
शहरी (नगर)	बरेली (एम. कॉर्प) वार्ड नं. 0046	40,925
	फरीदपुर (एनपीपी) वार्ड नं. 008	4,695
	बारागांव	11,383
	वाराणसी (एम. कॉर्प) वार्ड नं. 0025	28,986

उत्तरदाताओं के विवरण

तालिका: 1.2 उत्तरदाताओं के विवरण



1.6 डेटा के स्रोत

अध्ययन में क्रमशः गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्राथमिक और द्वितीयक डेटा स्रोतों का उपयोग किया गया।

अ) प्राथमिक डेटा

प्रस्तावित अध्ययन के लिए प्रासंगिक जानकारी निकालने के लिए, मानक संरचित और असंरचित प्रश्नावली का उपयोग करके क्षेत्रीय सर्वेक्षण और साक्षात्कार जैसी पद्धतियों (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) का उपयोग करके प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया था। प्रश्नावली उनके सामाजिक आर्थिक इतिहास, पारिवारिक प्रतिबंधों, भूमि और संपत्ति के साथ-साथ जनसांख्यिकीय, शैक्षिक और आय की जानकारी एकत्र करने में सक्षम थी। इसके अतिरिक्त, क्योंकि अध्ययन कोविड-19 महामारी के दौरान आयोजित किया गया था, कोविड -19 के बारे में जानकारी एकत्र की गई थी। भौतिक और सामाजिक अलगाव का पता लगाने के लिए, डेटा एकत्र करने के लिए गूगल (Google) प्रपत्रों का उपयोग किया गया था। यह डेटा क्षेत्र आधारित श्रम बल जांचकर्ताओं द्वारा एकत्र किया गया था। द्विभाषी संरचित सर्वेक्षणों को शामिल करने के लिए गूगल प्रपत्रों का उपयोग किया गया था। समय पर डेटा एकत्र करने के लिए टीम को उस तक एक्सेस प्रदान की गई थी। प्राप्त जानकारी को साझा करने और समस्या को हल करने के लिए नियमित गूगल मीट मीटिंग की व्यवस्था की गई थी।

ब) माध्यमिक डेटा

प्राथमिक डेटा के अलावा, 2001 की जनगणना, विभिन्न पुस्तकों, लेखों और संबंधित विषयों पर वेबसाइटों से माध्यमिक डेटा एकत्र किया गया था।

1.7 डेटा विश्लेषण

अध्ययन दल ने भिन्न रूप वाली दो अलग-अलग प्रश्नावलियों सहित पूरे क्षेत्र जांच प्रक्रिया में एकत्रित आंकड़ों की जांच और जांच करने के लिए विभिन्न साधनों और दृष्टिकोणों का उपयोग किया (अनुलग्नक)। विश्लेषण के लिए एसपीएसएस (सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज) और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस (वर्ड और एक्सेल) का उपयोग किया गया।

1.8 अध्ययन की सीमाएं

हालांकि यह अध्ययन एक राज्य और जिले तक सीमित था, भारत में कृषि की दृष्टि से समृद्ध नए जिलों और राज्यों का अध्ययन किया जा सकता है और विभिन्न परिणामों के लिए उनकी तुलना की जा सकती है। समय और आर्थिक बाधाओं के कारण केवल 3200 नमूने ही प्राप्त किए गए थे। एकत्र किया गया डेटा संभवतः इस तथ्य से प्रभावित था कि यह फील्डवर्क कोविड-19 के दौरान किया गया था।



अध्याय दो महिला और संपत्ति अधिकार

दस्तावेज़ स्वामित्व

तालिका 2.1 दस्तावेजों के स्वामित्व को रेखांकित करती है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे अधिकांश दस्तावेज बरेली में 13.58 फीसदी महिलाओं और वाराणसी में 22.16 फीसदी महिलाओं के ही पास उपलब्ध थे जबकि बरेली में 32.03% पुरुषों और वाराणसी में 32.23% पुरुषों के पास ये दस्तावेज उपलब्ध थे।

तालिका 2.1 दस्तावेज़ स्वामित्व

दस्तावेजों का स्वामित्व	ज़िला								कुल
	बरेली				वाराणसी				
	कस्बा								
	बरेली वार्ड 46		फरीदपुर वार्ड 8		बारागाँव		वाराणसी वार्ड 25		
	लिंग		लिंग		लिंग		लिंग		
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	
आधार कार्ड + राशन कार्ड	0.06	0.03	0.03	0.09	0	0.19	8.38	2.75	11.53
आधार कार्ड + वोटर कार्ड	0.53	3.00	0.31	6.13	1.75	2.88	0.06	2.53	17.19
आधार कार्ड + वोटर कार्ड + राशन कार्ड	5.31	13.53	6.25	4.34	6.59	11.19	3.88	6.16	57.25
कोई अन्य (पैन कार्ड + पासपोर्ट)	0.50	2.22	0.59	2.69	1.09	1.72	0.41	4.81	14.03
कुल	6.4	18.78	7.18	13.25	9.43	15.98	12.73	16.25	100.00
	कोई अन्य								
पैन कार्ड	0.09	1.13	0.26	1.56	0.44	1.09	0.25	2.69	7.51
पैन कार्ड, पासपोर्ट	0.41	1.09	0.31	1.13	0.66	0.63	0.16	2.13	6.52
कुल	0.5	2.22	0.57	2.69	1.1	1.72	0.41	4.82	14.03

स्रोत: फील्ड सर्वेक्षण

संचार और बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता

तालिका 2.2 उत्तरदाताओं के लिए उपलब्ध संचार और बैंकिंग सेवाओं को दर्शाती है। कुल उत्तरदाताओं में से बरेली में 13.60% और वाराणसी 22.15% महिलाएं संचार सेवाओं का उपयोग करती हैं जबकि बरेली में 32.03% पुरुष और वाराणसी में 32.22% पुरुष इन सेवाओं का उपयोग करते हैं। कुल उत्तरदाताओं में से केवल 3% के पास कोई संचार सेवाएं नहीं हैं। बरेली की 13.19% महिलाएं एवं वाराणसी की 21.80% महिलाएं बचत खाता, चालू खाता और सावधि जमा जैसी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रही हैं, और 2.17% महिलाएं किसी भी बैंकिंग सेवा का लाभ नहीं ले रहीं हैं। इसी तरह, बरेली में 31% पुरुष और वाराणसी में 31.84 पुरुष बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं, और 1.41% पुरुष किसी भी बैंकिंग सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं।



तालिका 2.2 संचार और बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता

संचार और बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता		ज़िला								कुल
		बरेली				वाराणसी				
		कस्बा								
		बरेली वार्ड 46		फरीदपुर वार्ड 8		बड़ागाँव		वाराणसी वार्ड 25		
		लिंग		लिंग		लिंग		लिंग		
		महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	
संचार सेवा	मोबाइल फोन	2.38	4.22	3.09	3.53	2.91	4.00	1.50	2.50	24.13
	मोबाइल फोन + लैंडलाइन फोन + इंटरनेट	3.75	13.78	3.97	9.00	6.31	11.72	11.06	13.28	72.87
	कोई भी नहीं	0.28	0.78	0.13	0.72	0.22	0.25	0.15	0.47	3.00
कुल		6.41	18.78	7.19	13.25	9.44	15.97	12.71	16.25	100.00
बैंकिंग सेवा का लाभ उठाना	हाँ	6.19	18.31	7.00	12.69	9.31	15.72	12.49	16.12	97.83
	नहीं	0.22	0.47	0.19	0.56	0.13	0.25	0.22	0.13	2.17
	कुल	6.41	18.78	7.19	13.25	9.44	15.97	12.71	16.25	100.00
सेवा की प्रकृति	बचत और चालू खाता	5.84	15.72	6.75	11.97	8.81	15.06	12.16	14.19	90.50
	बचत और चालू खाता + सावधि जमा	0.35	2.59	0.25	0.72	0.50	0.66	0.34	1.92	7.33
	कुल	6.19	18.31	7.00	12.69	9.31	15.72	12.50	16.11	97.83

स्रोत: फील्ड सर्वेक्षण

क्रेडिट(ऋण) सुविधाओं की उपलब्धता

तालिका 2.3 ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत दर्शाती है और यह पाया गया है कि बरेली में 1.75 प्रतिशत महिलाओं एवं 6.81% पुरुषों और वाराणसी में 2.59% महिलाओं एवं 6.56% पुरुषों ने ऋण सुविधा का लाभ उठाया है और 31.42% महिलाओं एवं और 50.87 प्रतिशत पुरुषों ने ऋण सुविधा का लाभ नहीं उठाया है। ऋण सुविधाओं का उपयोग शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य, विवाह, कृषि और निर्माण कार्यों के लिए किया गया है।

तालिका 2.3 ऋण सुविधाओं की उपलब्धता

ऋण सुविधाओं की उपलब्धता		ज़िला								कुल
		बरेली				वाराणसी				
		कस्बा								
		बरेली वार्ड 46		फरीदपुर वार्ड 8		बारागाँव		वाराणसी वार्ड 25		
		लिंग		लिंग		लिंग		लिंग		
		महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	
ऋण की सुविधा	हाँ	0.50	3.09	1.25	3.72	0.81	1.72	1.78	4.84	17.71
	नहीं	5.91	15.69	5.94	9.53	8.63	14.25	10.94	11.40	82.29
	कुल	6.41	18.78	7.19	13.25	9.44	15.97	12.72	16.24	100.00
प्रयोजन	शिक्षा	0.03	0.56	0.03	0.13	0.13	0.19	0.03	0.41	1.51
	व्यापार	0.13	0.94	0.06	0.41	0.19	0.31	0.06	0.59	2.69
	स्वास्थ्य	0.03	0.31	0.44	0.84	0.16	0.28	0.34	0.81	3.21
	शादियां	0.19	0.81	0.25	1.50	0.09	0.56	0.38	1.91	5.69
	कोई और	0.13	0.47	0.47	0.81	0.25	0.38	0.97	1.13	4.61
	लागू नहीं	5.91	15.69	5.94	9.53	8.63	14.25	10.93	11.41	82.29
	कुल	6.42	18.78	7.19	13.22	9.45	15.97	12.71	16.26	100.00



कोई अन्य										
	कृषि के लिए	0.06	0.31	0.19	0.22	0.09	0.06	0.06		1.43
	निर्माण के लिए	0.07	0.16	0.28	0.59	0.16	0.32	0.91		3.18
	कुल	0.13	0.47	0.47	0.81	0.25	0.38	0.97		4.61

स्रोत: फील्ड सर्वेक्षण

उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त सरकारी नीतियां

तालिका 2.4 उत्तरदाताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली सरकारी नीतियों का वर्णन करती है और यह पाया गया है कि बरेली की 9.78% महिलाओं और 23.88% पुरुषों और वाराणसी से 10.32% महिलाओं और 21.66% पुरुषों ने सरकारी नीतियों का लाभ उठाया है। नीतियों से लाभ आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), आयुष्मान योजना, मनरेगा, पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आदि योजनाएँ शामिल हैं।

तालिका 2.4 सरकार नीतियां, जिनका उत्तरदाताओं ने लाभ उठाया

सरकार नीतियां, जिनका उत्तरदाताओं ने लाभ उठाया		ज़िला								कुल
		बरेली				वाराणसी				
		कस्बा								
		बरेली वार्ड 46		फरीदपुर वार्ड 8		बारागाँव		वाराणसी वार्ड 25		
		लिंग		लिंग		लिंग		लिंग		
		महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	
सरकार की नीतियों का लाभ उठाया	हाँ	5.00	15.38	4.78	8.50	7.23	13.91	3.09	7.75	65.64
	नहीं	1.41	3.41	2.41	4.75	2.19	2.06	9.63	8.50	34.36
	कुल	6.41	18.79	7.19	13.25	9.42	15.97	12.72	16.25	100.00
पॉलिसी का लाभ	आयुष्मान योजना+ प्रधानमंत्री आवास योजना+राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	0.13	0.69	0.16	0.97	0.16	0.19	0.19	0.56	3.05
	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) + आयुष्मान योजना + मनरेगा	2.06	7.69	1.63	3.50	2.29	4.19	1.09	3.50	25.95
	पेंशन योजना + प्रधानमंत्री आवास योजना	0.03	0.09	0.05	0.75	0.03	0.15	0.15	0.41	1.66
	उज्ज्वला योजना+मनरेगा+ प्रधानमंत्री आवास योजना	2.78	6.91	2.94	3.28	4.75	9.38	1.66	3.28	34.98
	कुल	5.00	15.38	4.78	8.50	7.23	13.91	3.09	7.75	65.64

स्रोत: फील्ड सर्वेक्षण



लोक अदालत, तहसील संभागों तक पहुंच और लाभ

तालिका 2.5 लोक अदालत, तहसील संभागों तक पहुंच और लाभों को दर्शाती है। यह पाया गया है कि बरेली में 1.37 फीसदी महिलाओं एवं 4.06% पुरुषों और वाराणसी में 2.66 फीसदी महिलाओं एवं 5.82 फीसदी पुरुषों की लोक अदालत तक पहुंच है। बरेली में 1.72% महिलाओं एवं 7.53% पुरुषों और वाराणसी में 10.03% महिलाओं एवं 9.87% पुरुषों की तहसील संभागों तक पहुंच है। इसके अतिरिक्त, बरेली में 1.16% महिलाएं एवं 3.53% पुरुष और वाराणसी में 4.21% महिलाएं एवं 3.74% पुरुष लोक अदालत और तहसील संभागों से लाभ उठा रहे हैं।

तालिका 2.5 लोक अदालत, तहसील संभागों तक पहुंच और लाभ

लोक अदालत, तहसील संभाग एवं लाभ		ज़िला								कुल
		बरेली				वाराणसी				
		कस्बा								
		बरेली वार्ड 46		फरीदपुर वार्ड 8		बारागाँव		वाराणसी वार्ड 25		
		लिंग		लिंग		लिंग		लिंग		
		महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	
लोक अदालत तक पहुंच	हां	0.56	1.78	0.81	2.28	0.38	0.69	2.28	5.13	13.91
	नहीं	5.84	17	6.38	10.97	9.06	15.27	10.44	11.13	86.09
कुल		6.4	18.78	7.19	13.25	9.44	15.96	12.72	16.26	100.00
तहसील संभागों तक पहुंच	हां	0.66	3.69	1.06	3.84	0.97	1.53	9.06	8.34	29.15
	नहीं	5.75	15.09	6.13	9.41	8.47	14.43	3.66	7.91	70.85
कुल		6.41	18.78	7.19	13.25	9.44	15.96	12.72	16.25	100.00
फायदेमंद	हां	0.47	1.97	0.69	1.56	0.65	1.21	3.56	2.53	12.64
	नहीं	5.94	4.23	4.42	2.15	2.12	5.23	3.97	2.36	30.42
	कुल	6.41	6.2	5.11	3.71	2.77	6.44	7.53	4.89	43.06
लाभ के प्रकार	समस्या को सुलझाना	0.09	1.03	0.16	1.21	0.06	0.59	0.69	1.01	4.84
	जाति/पता/आय प्रमाणपत्रों का दस्तावेजीकरण	0.56	1.1	0.81	1.97	0.59	0.78	0.98	1.01	7.8
	कुल	0.65	2.13	0.97	3.18	0.65	1.37	1.67	2.02	12.64

स्रोत: फील्ड सर्वेक्षण



अध्याय 3

महिलाएं और रोजगार

महिलाओं की रोजगार की स्थिति

तालिका 3.1 महिलाओं के रोजगार के बारे में जानकारी दर्शाती है। यह पाया गया है कि कुल उत्तरदाताओं में से बरेली में 6.25% महिलाएं एवं 23.6% पुरुष और वाराणसी में 9.97% महिलाएं एवं 27.87% पुरुष कार्यरत हैं। 8.88% महिलाएं एवं 15.22% पुरुष स्व-नियोजित हैं, 7.31% महिलाएं एवं 36.28% पुरुष निजी तौर पर कार्यरत हैं, और 18.65% महिलाएं एवं 11.62% पुरुष काम की तलाश कर रहे हैं। 11.53% महिलाएं एवं 38.04% पुरुष कस्बों में काम कर रहे हैं और 4.69% महिलाएं एवं 13.44 पुरुष गांवों में काम कर रहे हैं।

तालिका 3.1 महिलाओं की रोजगार की स्थिति

महिलाओं का रोजगार		ज़िला								कुल
		बरेली				वाराणसी				
		कस्बा								
		बरेली वार्ड 46		फरीदपुर वार्ड 8		बारागाँव		वाराणसी वार्ड 25		
		लिंग		लिंग		लिंग		लिंग		
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
रोजगार की स्थिति	हां	3.53	12.13	2.72	11.47	7.47	14.53	2.50	13.34	67.69
	नहीं	2.88	6.66	4.47	1.78	1.97	1.44	10.22	2.91	32.31
	कुल	6.41	18.78	7.19	13.25	9.44	15.97	12.72	16.25	100.00
गतिविधि की स्थिति	स्व नियोजित	1.50	3.09	0.97	1.88	5.16	6.66	1.25	3.59	24.09
	निजी तौर पर काम करने के लिए देख रहे हैं	2.03	9.03	1.72	9.59	2.31	7.88	1.25	9.78	43.59
	काम नहीं कर रहे	2.53	6.22	4.28	1.56	1.78	1.28	10.06	2.56	30.28
	कुल	6.41	18.78	7.19	13.25	9.44	15.97	12.72	16.25	100.00
	रोजगार की जगह	कस्बा	2.97	10.44	2.47	10.16	3.78	5.41	2.31	12.03
	गांव	0.56	1.69	0.25	1.31	3.69	9.13	0.19	1.31	18.13
	लागू नहीं	2.88	6.66	4.47	1.78	1.97	1.44	10.22	2.91	32.31
	कुल	6.41	18.78	7.19	13.25	9.44	15.97	12.72	16.25	100.00

स्रोत: फील्ड सर्वेक्षण

अवधि और प्राप्त मजदूरी

तालिका 3.2 रोजगार की अवधि और रोजगार के तहत प्राप्त मजदूरी को दर्शाती है। यह पाया गया है कि रोजगार की अवधि 6 महीने से कम से लेकर 18 महीने से अधिक तक की अवधि को कवर करती है। 6 महीने से कम

की अवधि के लिए 0.84% महिलाओं एवं 1.03% पुरुषों ने काम किया, 1.5% महिलाओं और 3.99% पुरुषों ने 6-12 महीनों के लिए काम किया, 10.5% महिलाएं एवं 9.22% पुरुषों ने 12-18 महीनों के लिए काम किया और 10.5% महिलाओं एवं 36% पुरुषों ने 18 महीने से अधिक समय तक काम किया। महिलाओं एवं पुरुषों के द्वारा प्राप्त मजदूरी में अंतर कुछ इस प्रकार रहा - 3.5% महिलाओं एवं 7.97% पुरुषों को 100-200 रुपए, 2.53% महिलाओं एवं 5.27% पुरुषों को 200-300 रुपए, 7.41% महिलाओं एवं 25.07% पुरुषों द्वारा 300-400 रुपए की मजदूरी मिली और 2.78% महिलाएं एवं 13.16% पुरुष 500 रुपए से अधिक की मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं।

तालिका 3.2 अवधि और प्राप्त मजदूरी

महिलाओं का रोजगार		ज़िला								कुल
		बरेली		वाराणसी						
		कस्बा								
		बरेली वार्ड 46		फरीदपुर वार्ड 8		बारागँव		वाराणसी वार्ड 25		
		लिंग		लिंग		लिंग		लिंग		
		महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	
रोजगार की अवधि	6 महीने से कम	0.06	0.47	0.31	0.53	0.44	0.75	0.03	0.56	3.16
	6-12 महीने	0.03	0.56	0.06	0.31	1.38	2.81	0.03	0.31	5.50
	12-18 महीने	0.88	3.31	0.47	2.06	1.41	1.94	0.56	1.91	12.53
	18 महीने से अधिक	2.56	7.75	1.81	8.56	4.25	9.00	1.88	10.69	46.50
	लागू नहीं	2.88	6.69	4.53	1.78	1.97	1.47	10.09	2.91	32.31
	कुल	6.41	18.78	7.19	13.25	9.44	15.97	12.59	16.38	100.00
प्राप्त मजदूरी	100-200	0.81	1.84	0.47	0.97	1.72	4.22	0.50	0.94	11.47
	200-300	0.41	1.31	0.47	1.34	1.31	1.81	0.34	0.81	7.81
	300-400	1.75	6.50	1.06	5.91	3.41	6.78	1.19	5.88	32.47
	500 से ऊपर	0.56	2.47	0.72	3.25	1.03	1.72	0.47	5.72	15.94
	लागू नहीं	2.88	6.66	4.47	1.78	1.97	1.44	10.22	2.91	32.31
	कुल	6.41	18.78	7.19	13.25	9.44	15.97	12.72	16.25	100.00

स्रोत: फील्ड सर्वेक्षण

एन ए: लागू नहीं

प्रशिक्षण और रोजगार के स्रोत

तालिका 3.3 प्रदान किए गए प्रशिक्षण के स्रोतों और नौकरी के अवसरों को दर्शाती है। यह पाया गया है कि कुल उत्तरदाताओं में से 17.04% महिलाएं एवं 50.67% पुरुष विभिन्न स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं जैसे समाचार पत्रों, मीडिया में विज्ञापन और मौखिक तौर पर (परिवार, दोस्तों या रिश्तेदारों के माध्यम से)। यह भी पाया गया है कि 15.29% महिलाओं एवं 48.37% पुरुषों को प्रशिक्षण के अवसर मीडिया, स्कूल/कॉलेज/संस्थानों और रिश्तेदारों/मित्रों के माध्यम से मिले।



तालिका 3.3 प्रशिक्षण और रोजगार के स्रोत

प्रशिक्षण और रोजगार के स्रोत	ज़िला									कुल
	बरेली				वाराणसी					
	कस्बा									
	बरेली वार्ड 46		फरीदपुर वार्ड 8		बारागाँव		वाराणसी वार्ड 25			
	लिंग		लिंग		लिंग		लिंग			
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष		
रोजगार के अवसर का स्रोत	समाचार पत्र में विज्ञापन	1.16	4.66	1.31	5.84	1.53	3.25	0.84	4.44	23.03
	मीडिया	0.69	1.88	0.22	0.56	2.50	4.88	0.50	0.84	12.06
	मौखिक तौर पर	2.25	6.13	1.22	4.44	3.38	5.59	1.44	8.16	32.59
	लागू नहीं	2.31	6.13	4.44	2.41	2.03	2.25	9.94	2.81	32.31
	कुल	6.41	18.78	7.19	13.25	9.44	15.97	12.72	16.25	100.00
रोजगार के लिए प्रशिक्षण का स्रोत	मीडिया	0.00	0.16	0.03	0.38	0.13	0.84	0.03	0.34	1.91
	स्कूल/कॉलेज/संस्था के माध्यम से	0.81	2.84	0.94	2.75	2.22	5.50	0.56	1.75	17.38
	अपने नियुक्ता के माध्यम से, एक रिश्तेदार/मित्र के माध्यम से	2.41	8.47	1.66	7.22	4.91	7.56	1.59	10.56	44.38
	लागू नहीं	3.19	7.31	4.56	2.91	2.19	2.06	10.53	3.59	36.34
	कुल	6.41	18.78	7.19	13.25	9.44	15.97	12.72	16.25	100.00

स्रोत: फ़िल्ड सर्वेक्षण

महिला नेतृत्व और उनकी भूमिकाएँ

तालिका 3.4 महिलाओं के नेतृत्व की प्रतिशतता और उनकी भूमिकाओं को दर्शाती है। यह पाया गया है कि बरेली में 9.32 फीसदी महिलाएं एवं 16.41 फीसदी पुरुष और वाराणसी में 11 फीसदी महिलाएं एवं 21.53 फीसदी पुरुष नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हैं। 18.16% महिलाओं एवं 31.74% पुरुषों ने बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में मदद की, महामारी के दौरान लोगों की सहायता की, अपने नेतृत्व के समय में गरीबी उन्मूलन में मदद की और 8.35% को अपने कर्तव्यों के प्रति गैर-जिम्मेदार होना पाया गया।



तालिका 3.4 महिला नेतृत्व और उनकी भूमिकाएँ

महिला नेतृत्व		ज़िला								कुल
		बरेली				वाराणसी				
		कस्बा								
		बरेली वार्ड 46		फरीदपुर वार्ड 8		बारागँव		वाराणसी वार्ड 25		
		लिंग		लिंग		लिंग		लिंग		
		महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	
क्या आप नेता हैं?	हाँ	3.13	5.22	6.19	11.18	5.94	11.50	5.06	10.03	58.25
	नहीं	3.28	13.56	1.00	2.06	3.50	4.47	7.66	6.22	41.75
	कुल	6.41	18.78	7.19	13.24	9.44	15.97	12.72	16.25	100.00
कार्यकाल का विवरण	इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया	1.56	1.59	3.50	2.66	2.78	5.47	1.16	1.50	20.22
	महामारी के दौरान लोगों की सहायता की	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.19
	गरीबी मिटाने में मदद की	1.38	3.19	2.50	7.33	1.72	2.78	3.47	7.13	29.53
	गैर जिम्मेदार	0.19	0.44	0.19	1.19	1.44	3.25	0.34	1.31	8.34
	कुल	3.13	5.22	6.19	11.18	5.94	11.50	5.06	10.03	58.25

स्रोत: फील्ड सर्वेक्षण

अध्याय 4

लैंगिक भेदभाव के मूल कारण


लिंग और जिलेवार वितरण

तालिका 4.1 लिंग-वार और जिले-वार उत्तरदाताओं के वितरण को दर्शाती है जिसमें पाया गया कि 13.6% महिलाएं एवं 32.03% पुरुष बरेली जिले के थे और 22.16% महिलाएं एवं 32.22% पुरुष वाराणसी के थे।

तालिका 4.1 लिंग और जिलेवार वितरण

लिंग	ज़िला				कुल
	बरेली		वाराणसी		
	कस्बा				
	बरेली वार्ड 46	फरीदपुर वार्ड 8	बारागँव	वाराणसी वार्ड 25	
महिला	6.41	7.19	9.44	12.72	35.75
पुरुष	18.78	13.25	15.97	16.25	64.25
कुल	25.19	20.44	25.41	28.97	100.00

स्रोत: फील्ड सर्वेक्षण



उत्तरदाताओं की शैक्षिक योग्यता

तालिका 4.2 शहरों के उत्तरदाताओं की शैक्षिक योग्यता को दर्शाती है। यह पाया गया है कि बरेली में 1.47% महिलाओं एवं 2.69% पुरुषों और वाराणसी में 1.03% महिलाओं और 1.16% पुरुषों ने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा पाई है। बरेली में 6.44% महिलाओं और 18.44% पुरुषों और वाराणसी से 12.81% महिलाओं एवं 21.81% पुरुषों ने हाई स्कूल किया है। बरेली में 2.03% महिलाएं एवं 5.35% पुरुष और वाराणसी में 3.13% महिलाएं एवं 5.78% पुरुष स्नातक हैं या उन्होंने डिप्लोमा या कुछ प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं। कोई भी महिला स्नातकोत्तर नहीं पाई गई और 8.84% महिलाएं एवं 8.84% पुरुष अशिक्षित थे।



तालिका 4.2 उत्तरदाताओं की शैक्षिक योग्यता

शैक्षिक योग्यता		ज़िला								ज़िला
		बरेली				वाराणसी				
		कस्बा				कस्बा				
		बरेली वार्ड 46		फरीदपुर वार्ड 8		बारागँव		वाराणसी वार्ड 25		
		लिंग		लिंग		लिंग		लिंग		
		महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	
शैक्षिक योग्यता	प्राथमिक स्तर	0.91	2.28	0.56	0.41	0.53	0.38	0.50	0.78	6.35
	हाई स्कूल	2.94	10.56	3.50	7.88	4.66	11.47	8.16	10.34	59.51
	स्नातक/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र	1.09	2.41	0.94	2.94	2.38	2.59	0.75	3.19	16.29
	स्नातकोत्तर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17
	अशिक्षित	1.47	3.53	2.19	2.03	1.88	1.53	3.31	1.74	17.68
	कुल	6.41	18.78	7.19	13.26	9.45	15.97	12.72	16.22	100.00

स्रोत: फील्ड सर्वेक्षण

परिवार के मुखिया

तालिका 4.2 उत्तरदाताओं के परिवारों में परिवार के मुखिया को दर्शाती है और यह देखा गया है कि 5.78% परिवारों की मुखिया महिलाएं पाई गईं और 94.22% परिवारों के मुखिया पुरुष पाए गए।

तालिका 4.3 परिवार के मुखिया

परिवार के मुखिया	ज़िला								कुल
	बरेली				वाराणसी				
	कस्बा								
	बरेली वार्ड 46		फरीदपुर वार्ड 8		बारागँव		वाराणसी वार्ड 25		
	लिंग		लिंग		लिंग		लिंग		
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	
परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य	0.72	1.81	0.19	0.19	0.69	0.94	0.47	0.78	5.78
परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य	5.69	16.97	7.00	13.06	8.75	15.03	12.25	15.47	94.22
कुल	6.41	18.78	7.19	13.25	9.44	15.97	12.72	16.25	100.00

स्रोत: फील्ड सर्वेक्षण



अध्याय 5

लिंग:मामला अध्ययन

प्रस्तावना	भारत में महिला श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग कृषि क्षेत्र में कार्य करता है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं का बड़ा वर्ग होने के बावजूद, यह क्षेत्र महिलाओं के काम को मान्यता नहीं देता है और महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र में खराब रोजगार और बुनियादी ढांचा है।
परिचय और पृष्ठभूमि	कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। उत्पादकता के मामले में एक महिला के श्रम के लिए प्रतिकूल परिस्थिति होती है क्योंकि उसे आम तौर पर अपने घरेलू काम की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है जो खेतों में उसकी उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
क्रियाविधि	कृषि क्षेत्र में पुरुष ही बड़े निर्णय लेते हैं जबकि महिला श्रमिकों को उनका पालन करना होता है। कृषि क्षेत्र की महिलाएं कार्यों को अंजाम देने की ही भूमिका निभाती हैं और घर के बड़े फैसले भी पुरुषों द्वारा ही लिए जाते हैं। महिलाओं की आवाज न तो खेतों और न ही घर में हावी होती है। इसलिए समस्या के मूल कारण का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। गहन भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से एकत्र किए गए मामला अध्ययनों के माध्यम से इन मामलों को देखने का प्रयास किया गया है। मामले के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से मामला अध्ययन एकत्र किए गए हैं।
केस 1	39 वर्षीय साजिदा बानो खेतों में काम करती है और प्रति दिन 250 मजदूरी के रूप में कमाती है। वह दो बेटियों की मां है जो उनकी अनुपस्थिति में घर का काम संभालती हैं और उसका एक बेटा है जो अपनी मां की आर्थिक मदद से बीएससी कर रहा है। साजिदा ने कहा कि उसे अपने घर में वित्तीय संकट के कारण श्रमिक के रूप में काम करना पड़ता है। कोविड -19 के समय में मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं और रोजगार की कमी है। स्रोत: अरुण कुमार (क्षेत्र अन्वेषक)
केस 2	47 वर्षीय मुन्नी देवी जरदोजी मजदूर के रूप में काम करती है। जरदोजी एक प्रकार की हाथ की कढ़ाई की कला है जिसे अलंकरण के रूप में परिधान और अन्य प्रकार के सामानों पर सुइयों, धागों और धातु के तारों की मदद से किया जाता है। वह हर महीने 4-5 हजार रुपए कमाती है। जरदोजी का काम प्रमुख कारीगरों या बिचौलियों द्वारा थोक में लाया जाता है और फिर पीस (कार्यानुसार) मजदूरी दर के आधार पर महिलाओं/कारिगरों के बीच वितरित किया जाता है। इस मजदूरी की मदद से वह अपने बच्चों की स्कूल फीस का भुगतान कर सकती है और अगर वह चाहें तो घर का कुछ खर्च भी चला सकती है। उसने शिकायत की कि जरदोजी के काम के लिए गर्दन और पैरों को लगातार मोड़ना पड़ता है। उसके पैर, गर्दन और सिर में दर्द होने लगा है। उसने कहा कि जरदोजी का काम मौसमी है जो उसे केवल 8 महीने के लिए रोजगार प्रदान करता है। इस वर्ष कोविड -19 के कारण उसका रोजगार केवल 4 महीने तक ही सीमित था जिससे उसके घर चलाने में बहुत कठिनाइयाँ पैदा हुईं। स्रोत: अरुण कुमार (क्षेत्र अन्वेषक)
केस 3	38 साल की दिव्या घरेलू दर्जी का काम करती है। वह अपने काम से प्रतिदिन 300 कमाती है। दिव्या ने बताया कि एक घरेलू दर्जी होने के कारण उसे घर से काम करने और अपने परिवार की देखभाल करने का लाभ मिला है क्योंकि वह दो बच्चों की मां भी है। कभी-कभी उसे अपने ग्राहकों के लिए कुछ कपड़े, सुई, बटन आदि खरीदने के लिए बाजार त्कुक पड़ता है। स्रोत: अरुण कुमार (क्षेत्र अन्वेषक)



केस 4	<p>48 वर्षीय रोजा एक कुम्हार की पत्नी है। जबकि उसका पति अपने घर के पीछे वाले बरामदे में मिट्टी के बर्तन बनाता है। रोजा को इसके लिए कच्ची मिट्टी तैयार करके उसकी मदद करनी पड़ती है ताकि वह आसानी से बर्तन बना सके। जब उसका पति बर्तन पर अपना काम पूरा कर लेता है तो वह बची हुई मिट्टी से खिलौने बनाती है और सभी उत्पादों को धूप में अच्छी तरह से सुखा देती है।</p> <p>स्रोत: अरुण कुमार (क्षेत्र अन्वेषक)</p>
केस 5	<p>39 साल की सीता देवी खेतों में काम करके हर दिन 200-250 रुपये मजदूरी कमाती है। वह दावा करती है कि यह मजदूरी घर-आधारित श्रमिकों द्वारा अर्जित की गई राशि का आधा है। प्राप्त मजदूरी किए गए कार्य से कम है, लेकिन वह यह कार्य करती है क्योंकि यह काम उसके घर के पास के खेतों में उपलब्ध है और इससे उसे घर और खेत दोनों को एक साथ संभालने में फायदा होता है। सीता ने बताया कि उसके रोजगार की कोई गारंटी नहीं है; ऐसे भी दिन होते हैं जब वह बेरोजगार रह जाती है। सभी कार्य जैसे कि खेती, बीज बोना आदि नंगे हाथों से किए जाते हैं। इसके लिए बड़ी शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है और शरीर में थकावट पैदा होती है।</p> <p>स्रोत: आशीष कुमार (क्षेत्र अन्वेषक)</p>
परिणाम	<p>उपर्युक्त मामलों से यह देखा गया है कि किसी भी गतिविधि में कार्यरत महिलाओं से काम से साथ-साथ अपने घर के काम को भी पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अपने परिवार का आर्थिक बोझ कम करने का काम करती हैं। काम करके वह अपने बच्चों की शिक्षा में और अन्य छोटे घरेलू खर्चों में सहयोग करना चाहती है।</p>
सारांश और मूल्यांकन	<p>ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा और कौशल के अभाव के कारण उन्हें सब्जी चुनना, पशुओं की देखभाल करना, खेती, बुवाई आदि जैसे काम करने के लिए सीमित कर दिया गया है। उन्हें अपने समकक्षों की तुलना में ऋण और अन्य प्रमुख संसाधनों तक पहुंचने में भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।</p>
निष्कर्ष	<p>कृषि क्षेत्र में महिलाओं का रोजगार अस्थायी है। कुछ महिलाओं को केवल अपने परिवार के खेतों में ही काम करने की अनुमति है, न कि किसी और के कार्यस्थल या जमीन पर। यह उन ग्रामीण महिलाओं का वर्णन करता है जिनका भूमि, पूंजी या श्रम पर स्वायत्त नियंत्रण नहीं है।</p>
भविष्य के लिए सिफारिशें	<ul style="list-style-type: none"> • संबंधित हितधारकों को जरदोजी की कला संस्कृति के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए जो बदले में राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार पैदा करेगी। • जरदोजी कामगारों को उनकी कार्य उत्पादकता बढ़ाने और काम से होने वाली परेशानी एवं परिश्रम को कम करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। • कौशल विकास कार्यक्रम • शिक्षा में वृद्धि • नई तकनीकों को अपनाना • ऋण और अन्य प्रमुख संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से निर्देशित किया जाना चाहिए। • महिला सहकारिताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
समापन टिप्पणी	<ul style="list-style-type: none"> • निर्णय लेने की शक्ति महिलाओं को हस्तांतरित की जानी चाहिए, कृषि उत्पादन के साथ-साथ सार्वजनिक मामलों में महिला श्रम की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि पारंपरिक / पितृसत्तात्मक ताकतों को चुनौती दी जा सके जो इस विचार का समर्थन करते हैं कि महिलाएं कृषि गतिविधियों के लिए पर्याप्त मानव पूंजी नहीं हैं।

नोट: डेटा की गोपनीयता के लिए उत्तरदाताओं के नाम बदल दिए गए हैं।



अध्याय 6

निष्कर्ष और सिफ़ारिश

निष्कर्ष

विकास हस्तक्षेप और निवेश स्थानीय वातावरण में लैंगिक भूमिकाओं और उनकी गतिशीलता की पूरी समझ पर आधारित होना चाहिए, फिर भी कृषि सैक्टर आज अधिकांश महिलाओं को रोजगार नहीं देता है।

दस्तावेजों का स्वामित्व, संचार एवं बैंकिंग सेवाएं, ऋण सुविधाएं, सरकारी नीतियों का उपयोग, लोक अदालत, तहसील प्रभाग तक पहुंच एवं लाभ, रोजगार की स्थिति, रोजगार की अवधि और प्राप्त मजदूरी, प्रशिक्षण और रोजगार के स्रोत, महिला नेतृत्व की भूमिका, शैक्षिक योग्यता, और परिवार के मुखिया के मामलों में बरेली की तुलना में वाराणसी में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। ऐसा बरेली की तुलना में वाराणसी से सैंपल कलेक्शन ज्यादा होने के कारण हुआ है। क्रेडिट कार्ड मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और विवाह के लिए प्राप्त किए गए, कृषि के लिए नहीं। कुल 3200 उत्तरदाताओं में से 25.07 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में 7.41 प्रतिशत महिलाएं 300-400 रुपये वेतन अर्जित करती हैं। 12.79 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में 19.54 प्रतिशत महिलाएं बेरोजगार थीं। 18.65% महिलाएं रोजगार की तलाश में थीं और 4.69% महिलाएं काम करने के लिए गांवों की यात्रा करती थीं।

पिछले कुछ अध्ययनों ने तर्क दिया कि समाज में महिलाओं की अधीनता के कारण वे पारंपरिक विचार हैं जो महिलाओं की कृषि श्रमिकों और किसानों के रूप में शोषण करने की अनुमति देते हैं। यह अधीनता इसलिए नहीं है कि वे कम सक्षम, साधन संपन्न या संचालित हैं। इन सभी समस्याओं ने महिलाओं की गरीबी, विस्थापन और भूख को और बढ़ा दिया है। इसके परिणामस्वरूप शहरी कृषि में महिलाओं की भागीदारी पर ध्यान नहीं दिया गया, उनका शोषण किया गया और उनके साथ भेदभाव किया गया, भले ही दुनिया भर में शहरी कृषि में अनेक महिलाएं काम करती हैं।

सिफारिशें

लेखक दृढ़ता से आग्रह करती है कि लोग अपनी धारणाओं को बदलें कि महिलाएं कृषि में कैसे भाग लेती हैं क्योंकि अधिकांश साहित्य से पता चलता है कि महिलाओं के साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार किया जाता है। स्थानीय सरकार को छोटे पैमाने के किसानों के साथ मिलकर उन्हें बेहतर परिणाम देने के लिए आवश्यक सहायता और सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। पुरानी सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक मानदंडों को बदलने में सहायता के लिए महिलाओं को कम उम्र से ही कृषि कौशल, सूचना और प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। महिला किसानों को नई तकनीकों और प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि वे जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सक्षम हो सकें।



सन्दर्भ:

- Foundation on future farming (2020), “Women in Agriculture”, 8 April, URL: <https://www.globalAgriculture.org/report-topics/women-in-Agriculture.html>.
- Joshi. A &Kalauni. D (2018), “Gender role in vegetable production in rural farming system of Kanchanpur, Nepal”, *SAARC J. Agri.*, 16(2): 109-118 (2018)
- Cruz .P et al (2016), “Social Innovation as a tool for enhancing women’s resilience to climate change: a look at the BRICS”, BPC Papers, V.4 N.03, May-August 2016.
- Srivastava, N., & Srivastava, R. (2010). Women, Work, and Employment Outcomes in Rural India. *Economic and Political Weekly*, 45(28), 49-63.
- Gill, M and Wallenstein, A, (2019), “Making infrastructure work for both women and men”, [Online: web] Accessed 15 February 2021, URL:<https://blogs.worldbank.org/voices/making-infrastructure-work-both-women-and-men>.
- Reddy, A., & Rani, H. (1982). Role of Women in Rural Development. *Social Scientist*, 10(6), 51-57.
- Agénor, P., & Agénor, M. (2014). Infrastructure, women’s time allocation, and economic development. *Journal of Economics*, 113(1), 1-30.
- <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/03/06/breaking-the-grass-ceiling-empowering-women-farmers>
- https://www.researchgate.net/publication/344069699_Gender_and_participation_in_urban_agriculture_in_Soweto_Johannesburg
- <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14735903.2017.1336411>
- <https://farmer.gov.in/dacdivision/Machinery1/preface.pdf>

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1

अध्ययन की झलकियां



क्षेत्र अन्वेषकों के साथ एक
ऑनलाइन बैठक



स्थानीय लोगों का साक्षात्कार करते हुए एक क्षेत्र अन्वेषक

अनुलग्नक 2

नगर प्रश्नावली

Your precious responses are required for this research study. Please tick at appropriate box in the given grid or circle and provide your appropriate response. Some questions may have multiple responses. The data provided will be kept confidential and will be used solely for the purpose of research.

इस शोध अध्ययन के लिए आपकी कीमती प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता है। कृपया दिए गए ग्रिड में उपयुक्त बॉक्स पर टिक करें या उचित प्रतिक्रिया दें। कुछ सवालों के कई जवाब हो सकते हैं। प्रदान किया गया डेटा गोपनीय रखा जाएगा और अनुसंधान के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा।

1. Date /दिनांक	
2. Name of the Field Investigator /अन्वेषक का नाम	
3. District / जिला	East/ West पूर्व / पश्चिम
4. Town / नगर	
5. Name of the Respondent / उत्तरदाता का नाम	
6. Sex / लिंग	MALEपुरुष/FEMALE स्त्री / TRANSGENDER/ ट्रांसजेंडर Any other please specify / कोई अन्य, कृपया उल्लिखित करें
7. What is the highest educational qualifications attained till date? आपकी अब तक की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है?	1. Primary level / प्राथमिक स्तर 2. Matric / High School मैट्रिक / हाईस्कूल 3. Secondary and higher secondary/ माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक 4. Graduation/Diploma/Certificate / स्नातक डिप्लोमा / प्रमाणपत्र 5. Any other please specify /कोई अन्य, कृपया उल्लिखित करें
7.1 From which type of institution, you have obtained your qualifications? आपने अपनी शैक्षिक योग्यताएँ किस प्रकार की संस्था से प्राप्त की हैं?	1. Government / सरकारी 2. Private / निजी 3. Deemed / डीम्ड 4. Any Other, please specify / कोई अन्य, कृपया उल्लिखित करें



8. Are you employed? क्या आप कहीं कार्यरत हैं?	Yes/No हाँ / नहीं
8.1 What is your Activity Status? आपकी गतिविधि की स्थिति क्या है?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Working / कार्यरत / Employed / कार्यरत 2. Seeking or Available for work/ Unemployed / काम के लिए उपलब्ध / बेरोजगार के लिए उपलब्ध 3. Neither seeking nor available for work / काम के लिए न तो मांग करना और नहीं उपलब्ध होना 4. Any Other, Please Specify / कोई अन्य, कृपया उल्लिखित करें
8.2 What is the duration of your employment? आपके रोजगार की अवधि क्या है?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Less than 6 months / 6 महीने से कम 2. 6-12 months / 6-12 महीने 3. 12-18 months 12-18 महीने 4. More than 18 months / 18 महीने से अधिक 5. Any Other / please specify / कोई अन्य, कृपया उल्लिखित करें
10. How much wages do you receive per day (in INR)?	<ol style="list-style-type: none"> 1. 0-100 2. 100-200 3. 300-400 4. Any Other, please specify / कोई अन्य, कृपया उल्लिखित करें
10.1 Where do you work? आप कहाँ कार्य करते हैं।	Village गाँव /Town शहर
10.2 From where did you get opportunity for your current employment? आपको अपने वर्तमान रोजगार के लिए अवसर कहाँ से मिला?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advertisement in Newspaper / समाचार पत्र में विज्ञापन 2. Word of Mouth / मुँह की बात 3. Through a Relative/Friend / एक रिश्तेदार/ मित्र के माध्यम से 4. Any Other, please specify / कोई अन्य, कृपया उल्लिखित करें
10.3 From where did you get training for your current employment? आपने अपने वर्तमान रोजगार के लिए प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Through School/College/Institution / स्कूल / कॉलेज / संस्थान के माध्यम से 2. Through your Employer / अपने नियोक्ता के माध्यम से 3. Through a Relative/Friend / एक रिश्तेदार/ मित्र के माध्यम से 4. Any Other, please specify / कोई अन्य, कृपया उल्लिखित करें
11. Which of the following document you own? आप निम्नलिखित में से किस दस्तावेज के मालिक हैं?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adhaar Card / आधारकार्ड 2. Voter Card / वोटरकार्ड 3. Ration Card / राशनकार्ड 4. Any Other, please specify / कोई अन्य, कृपया उल्लिखित करें
11.1 Any Other, please specify / कोई अन्य, कृपया उल्लिखित करें	
12. Have you ever used any Government policy? क्या आपने कभी सरकार की किसी नीति का उपयोग किया है?	Yes/No हाँ / नहीं



12.1 If yes, then which one? यदि हाँ, तो कौनसा?	<ol style="list-style-type: none">1. Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) / दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना2. Ujjawala Yojna / उज्ज्वला योजना3. Ayushman Yojna / आयुष्मान भारत योजना4. MANREGA / महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम5. Pension Scheme / नेशनल पेंशन स्कीम6. Prime Minister Awas Yojna / प्रधानमंत्री आवास योजना7. National Health Protection Scheme / राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना8. Any Other, please specify / कोई अन्य, कृपया उल्लिखित करें
13. What Communication services do you use? आप संचार सेवाओं का क्या उपयोग करते हैं?	<ol style="list-style-type: none">1. Mobile Phone / मोबाइल फोन2. Landline Phone / लैंडलाइन फोन3. Internet / इंटरनेट4. Telephone Booth / टेलीफोन बुथ5. Any Other, please specify / कोई अन्य, कृपया उल्लिखित करें
14. Do you avail any banking services? क्या आप किसी बैंकिंग सेवा का लाभ उठाते हैं?	Yes / No हाँ / नहीं
14.1 If yes, then what is the nature of the services?	<ol style="list-style-type: none">1. Savings and Current Account / बचत और चालू खाता2. Loan or credit / ऋण या साख3. Fixed Deposits / निश्चित जमा4. Any Other, please specify / कोई अन्य, कृपया उल्लिखित करें
15. Do you access credit facilities? क्या आप क्रेडिट सुविधाओं का उपयोग करते हैं?	Yes / No हाँ / नहीं
15.1 If yes, For which purpose? यदि हाँ, तो किस प्रयोजन के लिए?	<ol style="list-style-type: none">1. Education / शिक्षा2. Health / स्वास्थ्य3. Business / व्यापार4. Marriage / विवाह5. Any Other, please specify / कोई अन्य, कृपया उल्लिखित करें
15.2 Any Other, please specify / कोई अन्य, कृपया उल्लिखित करें	
16. Do you have access to Lok Adalats? क्या आपके पास लोक अदालतों तक पहुंच है?	Yes / No हाँ / नहीं
16.1 Do you have access to Tehsil Divisions? क्या आपके पास तहसील प्रभागों तक पहुंच है?	Yes / No हाँ / नहीं
16.2 Are they beneficial? क्या वे फायदेमंद हैं?	
16.3 If Yes, How? यदि हाँ, तो कैसे?	Yes / No हाँ / नहीं
17. Did you ever had women leader in your town?	Yes / No हाँ / नहीं
17.1 if yes, please describe her tenure / यदि हाँ, तो कृपया उसके कार्य काल का वर्णन करें	



वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना;
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना;
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।



वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

सैक्टर 24, नौएडा-201 301, उत्तर प्रदेश (भारत)

वेबसाइट : www.vvgnli.gov.in